न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 37/2019 अपील/डूंगरपुर
पंजीयन दिनांक– 16.12.2019
निर्णय दिनांक– 25.08.2020

1. श्री कालु पिता श्री अखमा बागडिया मीणा निवासी मोरासारण, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री बापु पिता भगा भमात मीणा मृतक के बजाय वारिसान्–

1/1 श्रीमती चम्पा बेवा स्व. श्री बापु भमात मीणा निवासी मोरासारण, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/2 श्री रमण पिता स्व. श्री बापु भमात मीणा निवासी मोरासारण, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2. श्री सोमा पिता भगा भमात मीणा निवासी मोरासारण, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्री भूरा पिता भगा भमात मीणा निवासी मोरासारण, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. श्री रामा पिता भगा भमात मीणा निवासी मोरासारण, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. श्रीमती शिवी बेवा भगा भमात मीणा (रेस्पोडेन्ट संख्या 5 मृतक के बजाय वारिसान् रेस्पोडेन्अ संख्या 1 से लगायत 4 रेकर्ड पर है जिससे मृतक का नाम जरिये आदेश दिनांक 12.03.2020 से हटाया गया।)
6. श्री धीरा पिता वालजी भमात मीणा निवासी मोरासारण, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
7. सोमा पिता वालजी भमात मीणा निवासी मोरासारण, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
8. भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :

श्री प्रकाश पालीवाल : अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री रोशनलाल जैन : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट रेस्पो. सं. 2,3,4,6 व 7

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर
के प्रकरण संख्या 01/2015 निर्णय दिनांक 28.03.2018

निर्णय

दिनांक–25.08.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अति. जिला कलक्टर डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 01/2015 निर्णय दिनांक 28.03.2018 के विरूद्ध दिनांक 03.05.2018 को मय प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 सपठित आदेश 41 नियम 5 जा. दी. के साथ न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर कैम्प डूंगरपुर को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 03.12.2019 को दर्ज की गई। जिला डूंगरपुर से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 16.12.2019 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मोरासारण के खसरा नम्बर 249 में से रकबा 13 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल नम्बर 2239/75 दिनांक 30.12.1975 को अपीलांट/विपक्षी श्री कालू पिता अखमा मीणा निवासी मोरासारण के नाम से आवंटन करने से उक्त भूमि पर प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के पिता/पति श्री भगा पिता खातरा का कब्जा गत 60 वर्षो से निरन्तर तथा भगा की मृत्यू के पश्चात रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण का कब्जा काश्त आज तक होना, अपीलांट आवंटी बवक्त नाबालिग होने एवं आवंटन शर्तो की पालना नही होना बताते हुए उक्त भूमि के आवंटन आदेश निरस्त कराने के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण पर अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रकरण

को स्वीकार करते हुए आंवटन सलाहकार समिति द्वारा मिसल नम्बर 2239/75 दिनांक 30.12.1975 के द्वारा अपीलांट/विपक्षी श्री कालू पिता अखमा जाति मीणा निवासी मोरासारण के नाम से आवंटन की गयी भूमि व आवंटन निरस्त कर पूर्ववत बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील अंदर मयाद पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश पालीवाल व रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3,4,6 व 7 की ओर से श्री रोशनलाल जैन उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कायम मुकाम बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंट संख्या–5 का नाम मृत्यु के कारण आदेश दिनांक 12.03.2020 से हटाया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस दिनांक 24.07.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में बताया कि मौजा मोरासारण के खसरा नम्बर 249 में से रकबा तेरह बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल संख्या 2239/75 दिनांक 30.12.1975 को अपीलार्थी के नाम से आंवटन करने से उक्त भूमि पर प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के पिता श्री भगा पिता श्री खातरा का कब्जा गत 60 वर्षो से निरन्तर तथा श्री भगा की मृत्यू के पश्चात प्रार्थीगण/ प्रत्यर्थीगण का कब्जा काश्त आज तक होना बताते हुए उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर के न्यायालय में दिनांक 07.09.2007 को प्रार्थीगण/ प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश किया गया। जिसका जवाब अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। दौराने सुनवाई इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी कालू के नाबालिग होने का प्रश्न उठाने से दिनांक 30.04.2010 को अपीलार्थी को अपनी आयु प्रमाणित कराये जाने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी विपक्षी की आयु प्रमाणित करने के

दस्तावेज पेश करने एवं तत्पश्चात दोनो पक्षो को सुनकर विधिसम्मत आदेश पारित करने का आदेश दिनांक 17.06.2014 को प्रदान किया गया। जिस पर प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के द्वारा दस्तावेत पेश किये गये। जिनको किसी भी प्रकार की सक्षम साक्ष्य के प्रमाणित नही कराकर, उनको सही होना मानकर प्रार्थीगण/प्रत्यथीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को सही मानकर अपीलार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को बिना किसी उचित आधार के निरस्त करने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर आवंटन दिनांक से कब्जा काश्त निरन्तर बेरोकटोक आज दिन तक बना हुआ है। जिसके प्रमाण में अपीलार्थी ने राजस्व रेकार्ड से उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2031 से 2034 एवं संवत 2036 सेर 2039 प्रस्तुत की है तथा अपीलार्थी को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये गये है। जिसकी जमाबंदी की प्रतिलिपियां भी प्रस्तुत की गई है। प्रत्यर्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में अपीलार्थी विपक्षी पर मिथ्या आरोप अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को भूमि आवंटित की गई, उस पर अपीलार्थी नाबालिग था। जिसके संबंध में प्रत्यर्थीगण की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोरासारण में विद्यार्थी मित्र हेतु प्रस्तुत किया गया आवेदन दिनांक 06.12. 2006 की प्रतियां पेश की है। जिसमें किसी कमलाशंकर नाम के व्यक्ति का नाम अंकित है। जिसको विपक्षी अपीलार्थी होने के तथ्य के साथ प्रस्तुत किये है। जिसका अपीलार्थी के द्वारा विरोध किया गया और उसका स्वंय का नाम कालू पिता श्री अखमा होना बताया गया है, जबकि प्रत्यर्थीगण स्वंय के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अपीलार्थी विपक्षी का नाम कालू पिता श्री अखमा अंकित किया गया है। इस संपूर्ण कार्यवाही में प्रार्थना पत्र में किसी भी स्थान पर अपीलार्थी का नाम कालू उर्फ कमलाशंकर होना अंकित नही किया गया है। अपीलार्थी ने अपना स्वंय का आधार कार्ड की प्रति पेश की है, जिसमें अपीलार्थी का नाम कालू है। इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नही किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत RRD 1993 Page 596 Brijlal Vs. Board Revenue & Others. and RRT 2001(2) Page 926 Mangi lal &Others Vs. States of Rajasthan & Others, DNJ 2018 (2) Page 727 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि आंवटन के समय यदि आंवटी नाबालिग है और अब बालिग हो चुका है और आंवटन को निरस्त नही किया जाना चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में भी अपीलार्थी को भूमि का आवंटन सन् 1975 में किया गया है, अपीलार्थी को भूमि

आंवटित किये हूए अभी चौवालीस वर्ष का समय व्यतित हो चुका है एवं अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी उचित आधार व साक्ष्य के आंवटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है। प्रत्यर्थीगण/ प्रार्थीगण के द्वारा खसरा संख्या 249 के जिस भाग पर कब्जा था, उस भूमि का आंवटन प्रार्थीगण / प्रत्यर्थीगण सर्व श्री श्यामा पिता श्री भगा एवं श्रीमति शारदा पत्नि भगा को, बापु पिता श्री भगा एवं श्रीमति सम्पा पत्नि श्री बापु को, श्री भूरा पिता श्री भगा एवं श्रमति सतुरी पत्नि श्री भुरा को किया गया है। जिसकी जमाबंदी की प्रतिलिपि अपीलार्थी विपक्षी कालू के द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण ने मिथ्या कथनों के आधार पर अपना प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के आयु के संबंध में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रति राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोरासारण में विद्याथी मित्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कमलाशंकर नाम अंकित है, तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कूंवा के द्वारा जारी जन्म दिनांक प्रमाणपत्र में भी कमलाशंकर नाम अंकित है। निर्वाचन नामावली की प्रति पेश हुई जिसमे भी कमलाशंकर नाम अंकित है। उक्त सभी प्रलेखों में अपीलार्थी का नाम कालू उर्फ कमलाशंकर कही पर भी अंकित नही है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने विश्वास कर अपीलार्थी को सन् 1975 में किया गया आंवटन के समय नाबालिग होना मानकर आंवटन को निरस्त करने का आदेश दिये जाने से भारी भूल की है, जबकि इस संबंध में प्रत्यर्थी/प्रार्थीगण के द्वारा इस प्रकार की कोई प्रमाणिकता साक्ष्य पेश नही की गयी है कि कालू व उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रलेख में अंकित कमलाशंकर एक ही व्यक्ति है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि अपीलार्थी कालू अशिक्षित ग्रामीण काश्तकार है। जिसको केवल हस्ताक्षर करना ही आता है। प्रत्यर्थीगण के द्वारा प्रस्तुत मोरासारण राजकीय प्राथमिक विद्यालय की प्रति का तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कूंवा द्वारा जारी जन्म दिनांक प्रमाणपत्र की किसी भी प्रकार से जांच अथवा परीक्षण नही किया गया और उक्त आवेदन पत्र की प्रति तथा जन्म दिनांक प्रमाण पत्र जारी करने वाले किसी भी अधिकारी के साक्ष्य में बयान नही लिये गये, जिससे की उक्त दस्तावेजों की सत्यता प्रमाणित हो सके कि कालू उर्फ कमलाशंकर एक ही व्यक्ति है। जब कि अपीलार्थी ने अपना स्वय का नाम कालू होना तथा इसी नाम से आधार

कार्ड बनाया गया है को पेश किया गया है। प्रत्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन नामावली तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड में फोटो है। वह भी भिन्न है। अपीलार्थी के आधार कार्ड में जन्म वर्ष 1956 अंकित है, प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र में जन्म वर्ष 1966 अंकित है। निर्वाचन नामावली वर्ष 2014 में कमलाशंकर की आयु 52 वर्ष अंकित है। उक्त सभी प्रलेख में भिन्न विवरण, जिससे स्पष्ट है कि भूमि आंवटन के समय अपीलार्थी व्यस्क था तथा अपीलार्थी एवं श्री कमलाशंकर दो पृथक–पृथक व्यक्ति है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नही कर, प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को स्वीकार किये जाकर आवंटन निरस्त किये जाने में भारी भुल की है। प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत विद्यार्थी मित्र का आवेदन पत्र में अंकित विवरणानुसार कमलाशंकर की शैक्षिक योग्यता बी.ए. होना अंकित किया गया है तथा आवेदन पत्र पर कमलाशंकर नाम से हस्ताक्षर किये गये है, जबकि प्रकरण में अंकित विपक्षी अपीलार्थी अशिक्षित ग्रामीण काश्तकार है, जो केवल हस्ताक्षर करना जानता है। आवेदनपत्र पर अंकित हस्ताक्षर कमलाशंकर के तथा प्रकरण में उपस्थित कालू के प्रकरण में अंकित हस्ताक्षर किसी भी प्रकार से मिलान नही होते है। इस प्रकार निर्वाचक नामावली में जिस कमलाशंकर का नाम का उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय ने किया है उस पर अंकित फोटो तथा विपक्षी अपीलार्थी जो विचारण के दौरान उपस्थित हो रहा है। उससे मिलान नहीं होता है। इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नही किया और प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के कथन को कालू कमलाशंकर एक व्यक्ति होना मानकर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी विपक्षी की आयु के संबंध में किसी भी प्रकार के पुख्ता प्रमाण पत्र रेकार्ड पर नही होने पर भी अपीलार्थी को नाबालिग मानने में विधिक प्रावधानों की अनदेखी की गई है। विवादित भूमि पर प्रत्यर्थीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। विपक्षी अपीलार्थी का आंवटित भूमि को निरस्त कराने का प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से विधिक अधिकार नही है। जैसा कि न्यायिक दृष्टांत RRD 1993 Page 596 Brijlal Vs. Board Revenue & Others. and RRT 2001(2) Page 926 Mangi lal &Others Vs. States of Rajasthan & Others, DNJ 2018 (2) Page 727 में प्रतिपादित किया है। मौजा मोरासारण के खसरा संख्या 249 की भूमि में से विपक्षी अपीलार्थी को सन 1975 में आंवटित की गई भूमि के समय इस भूमि को आंवटित

करने प्रत्यर्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया था, इसके पश्चात प्रत्यर्थीगण ने इस खसरा संख्या 249 में से भूमि आंवटित करने के आवेदन पत्र पेश किये गये थे और इसी खसरा की भूमि में से उनको भी भूमि का आंवटन किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थीगण को विपक्षी अपीलार्थी को आंवटित की गई भूमि के संबंध में जानकारी प्रारंभ से ही थी। विपक्षी अपीलार्थी को आंवटित भूमि को हथियाने के आशय से मिथ्या कथनों के आधार से आंवटन को निरस्त कराने आवेदनपत्र करीब बत्तीस वर्ष पश्चात पेश किया गया है, जबकि इस भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। इस प्रकार अत्यधिक देरी से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण अधीनस्थ न्यायायल से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही तथापि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर किसी भी प्रकार से विचार नही कर अपीलार्थी के पक्ष में आंवटित भूमि का आंवटन निरस्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के द्वारा उल्लेखित उपरोक्त कारणों से अपीलार्थी का निवेदन है कि उसके द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2015 श्री बापु पत्र श्री भगा मीणा वगैराह बनाम कालू वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2018 को निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलार्थी को मौजा मोरासारण का खसरा संख्या 265/249 रकबा तेरह बीघा का आंवटन प्रकरण संख्या 2239/1975 दिनांक 30.12.1975 को वैध माना जाकर यथावत कायम रखने एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने बाबत निवेदन किया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि भूमि आवंटन के वक्त अपीलांट कालू उर्फ कमलाशंकर नाबालिग था। उसकी जन्म तारीख दिनांक 01.12.1966 है, जिसकी पुष्टि प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मोरासारण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 13.08.2015 से प्रमाणित प्रति से हो जाती है। अपीलांट स्वयं ने विद्यार्थी मित्र योजना के तहत शिक्षक बनने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2006 को प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मोरासारण में पेश किया है, जिसमें आयु की दिनांक 01.12.1966 किया। प्रार्थी को भूमि का आवंटन दिनांक 30.12.1975 को हुआ है एवं जन्म दिनांक 01.12.1966 को हुआ है यानि आवंटन के वक्त प्रार्थी की आयु करीबन 9 वर्ष होकर वह नाबालिग था। नाबालिग को भूमि आवंटन करने का प्रावधान नही

है। साथ ही उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट का ही एवं उनके पूर्वजों का ही करीबन 60 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी का कब्जा नही होने बाबत निवेदन किया है।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के आवेदन पर अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.03.2018 को किया गया गया है। दिनांक 28.03.2018 के निर्णय की अपील के लिए 60 दिवस की अवधि दिनांक 27.05.2018 होती है, जबकि अपील दिनांक 03.05.2018 को पेश की गई है, तद्नुसार अपील अंदर मयाद पेश है।

उभयपक्षों की बहस दिनांक 24.07.2020 को सुनने के बाद न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.08.2020 को तहसीलदार से रिपोर्ट चाही गई की उक्त आराजी के आवंटन को लेकर इस न्यायालय में लम्बित अपील में इस तथ्य के जांच की आवश्यकता है कि उक्त ग्राम मोरासारण में कालु पुत्र अखमा जाति बगडिया मीणा एवं कमलाशंकर उर्फ कालु पिता अखमा बगडिया नाम के दो व्यक्ति अलग–अलग अथवा कालु एवं कमलाशंकर पिता अखमा बगडिया एक ही व्यक्ति है। उपरोक्त कालु/कमलाशंकर दोनो की वल्दियत अखमा के एक ही व्यक्ति होना अथवा पृथक–पृथक होने बाबत आप स्वयं उक्त ग्राम में जाकर मोतबिरान से जानकारी कर सुस्पष्ट जांच रिपोर्ट 7 दिवस यादि दिनांक 14.08.2020 तक अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त क्रम में तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1410 दिनांक 14.08.2020 से जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत डूंगर द्वारा रिपोर्ट दी गई कि कालु पिता अखमा और कमलाशंकर पिता अखमा नाम का एक ही व्यक्ति है। जिन्हें में व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जिसकी तस्दीक मेरे स्वयं द्वारा की जाती है। इसी प्रकार भू.अ.नि द्वारा ग्राम में बाद जांच निम्नानुसार रिपोर्ट दी गई है कि मौका जांच के लिए राजस्व गांव मौरासारण में पहूॅचा वहॉ उपस्थित मौतबिरानों एवं प्रार्थी द्वारा जाहिर किया गया कि कालु पिता अखमा एवं कमलाशंकर पिता अखमा बागडिया एक ही व्यक्ति है। उपस्थित मौतबिरानों को मौका पर्चा पढ़कर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर करवाये गये।

प्रकरण में अब हम उभय पक्षों के कथन व उपकथन व पेशशुदा दस्तावेजात का अवलोकन कर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में अपीलांट द्वारा यह अपील प्रमुखतः इस आधार पर पेश की गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट कालू पिता अखमा को कमलाशंकर उर्फ अखमा मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्तर पर कालू उर्फ कमलाशंकर पिता अखमा मान लिया है जो बिन्दु है तथा अपीलांट कालू उर्फ कमलाशंकर नहीं है तथा वह कालू है तथा कमलाशंकर एक पृथक व्यक्ति होकर बवक्त आवंटन दिनांक 30.12.1975 को वह बालिग था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पेशशुदा दस्तावेजात विद्यालय का प्रमाण–पत्र जिसमें कालू की जन्मतिथि 01.12.1966 है तथा विद्यार्थी मित्र योजना के तहत दिये गये आवेदन में भी उसकी जन्म तिथि 01.12.1966 है, इत्यादि महत्वपूर्ण दस्तावेजात का वर्णन कर अपीलांट को बवक्त आवंटन नाबालिग माना है। प्रकरण में अपील की अपील का लब्बो लुआब यह है कि वह कालू पिता अखमा है कमलाशंकर उर्फ अखमा नहीं है। इस न्यायालय द्वारा इस प्रमुख तथ्य की जांच के लिए स्वतंत्र राजस्व एजेन्सी से मौका रिपोर्ट तलब करवायी गयी जिसमें सरपंच द्वारा भी यह कहा गयाएवं लिखित तस्दीक भी दी कि कालू पिता अखमा व कमलाशंकर पिता अखमा दोनों एक ही व्यक्ति है तथा राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा भी मौका जांच के बाद कालू पिता अखमा व कमलाशंकर उर्फ अखमा एक ही व्यक्ति होना अवगत कराया है। सरपंच एवं राजस्व अधिकारियों के उक्त जांच रिपोर्ट से किसी प्रकार को पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं माना जा सकता एवं इस जांच रिपोर्ट के सन्दर्भ में अपीलांट द्वारा यह आपत्ति व्यक्त की गयी है कि यह मौका उसकी उपस्थिति में नहीं बना। इस न्यायालय द्वारा जांच रिपोर्ट उभय पक्षों की उपस्थिति में बनाये जाने हेतु निर्देशित भी नहीं किया गया था तथा उभय पक्षों द्वारा अपनी साक्ष्य/खण्डन में पूर्वतः इस न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत कर रखा था परन्तु वस्तुतः आवंटित आराजी का आवंटी कालू पिता अखमा व कमलाशंकर उर्फ अखमा दोनों पृथक–पृथक व्यक्ति है अथवा एक ही व्यक्ति है, इस बाबत् निष्पक्ष जांच की आवश्यकता थी, जो इस न्यायालय द्वारा करवाने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गयी है कि कालू पिता अखमा व कमलाशंकर उर्फ अखमा एक ही व्यक्ति है।

रेस्पोंडेण्ट द्वारा इस न्यायालय में दो आधार कार्ड की फोटो प्रति भी पेश की है जिनके नम्बर क्रमांक एक ही 241900963101 है जिसमें एक में जन्मतिथि 01.01.1956 अंकित है तथा अन्य में जो इसी नम्बर का आधार कार्ड है, उसमें जन्मतिथि 1966 अंकित है। उपरोक्त दोनों आधार कार्ड का एक ही नम्बर होकर पृथक–पृथक जन्मतिथि होना भी संदेह व्यक्त करता है। प्रकरण में न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट द्वारा अपील को प्रमुखतः स्वयं को कालू मानना एवं कमलाशंकर नहीं मानने की ही आपत्ति व्यक्त की। आवंटन नियमों में प्रमुखतः यह देखा जाना होता है कि यदि कोई आवंटन **Fraud** एवं **Misrepresentation** के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो उक्त आवंटन किसी भी स्तर पर निरस्त योग्य होता है। आवंटन दिनांक 30.12.1975 को किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के विवेचन एवं पेशशुदा दस्तावेजात के अनुसार कमलाशंकर की जन्मतिथि 1966 है तथा उसके स्वयं के द्वारा विद्यार्थी मित्र योजना के आवेदन में भी उसका जन्मतिथि 1966 है यानि कालू/कमलाशंकर बवक्त आवंटन 9 वर्ष का था अर्थात् आवंटन दिनांक को वह नाबालिग था। अधीनस्थ न्यायालय ने पेशशुदा दस्तावेजात के आधार पर कालू/कमलाशंकर निःसंदेह आवंटन दिनांक को नाबालिग होना प्रमाणित है। अब जब अपीलांट यह कह कर आता है कि वह कमलाशंकर नहीं है वह तो कालू है एवं जांच रिपोर्ट के अनुसार कालू एवं कमलाशंकर एक ही व्यक्ति प्रकट आते हैं तो अपीलांटकी सदाशयता निःसंदेह प्रकट होती है तथा न्यायालय में उसके स्वच्छ हाथों से नहीं आने को प्रकट करता है। यह और भी अधिक पुष्ट होता है जब कि अपीलांट द्वारा जो न्यायिक नजीरें पेश की गयी है उसमें वह यह भी व्यक्त करता है कि यदि बवक्त आवंटन कोई नाबालिग हो तो भी उसके बालिग हो जाने एवं अर्सा गुजर जाने के बाद उक्त आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता अर्थात् एक तरफ तो अपीलांट स्वयं को कालू एवं बवक्त आवंटन बालिग होना बताता है वहीं दूसरी ओर आवरणयुक्त शब्दों में यह भी व्यक्त करता है कि यदि बवक्त आवंटन वह नाबालिग भी था तो उक्त नजीरों के सन्दर्भ में उसके आवंटन को अर्सा गुजर जाने एवं अब उसके बालिग हो जाने के कारण आवंटन बहाल रखा जाये अर्थात् अपीलांट की सदाशयता एवं दुधारी तलवार के बचाव साधनों को बवक्त आवंटन उसके नाबालिग होने की पुनः पुष्टि होती है, अर्थात् यदि अपीलांट बवक्त आवंटन नाबालिग नहीं था तो फिर उसे यह आधार लेने की

आवश्यकता ही नहीं थी कि वह नाबालिग को आवंटन को अर्सा गुजर जाने के बाद व बालिग हो जाने के कारण आवंटन बहाल रखा जाए अर्थात् अपीलांट का उक्त आवेदन निःसंदेह **Fraud** एवं **Misrepresentation** से प्राप्त किया गया है क्योंकि बवक्त आवंटन वह कालू उर्फ कमलाशंकर (जैसाकि जांच में प्रकट आया है) नाबालिग ही था तथा किसी भी नाबालिग के सद्भावी काश्तकार होने को आवंटन विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता तथा ऐसा आवंटन जो **Fraud** एवं **Misrepresentation** से प्राप्त किया गया वह आवंटन ही अवैध माना जाएगा। हालांकि आवंटन को काफी अर्सा गुजर चुका है परन्तु जो आवंटन, आवंटन वक्त को ही **Fraud** एवं **Misrepresentation** से प्राप्त किया गया हो, सद्भावी काश्तकार के रूप में आवंटन नहीं किया गया हो तो अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय में जब अपीलांट स्वच्छ हाथों से नहीं आया हो तथा ऐसे आवंटन को कदापि विधिसंगत नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों के आख्यापक विवेचन के बाद अपीलांट के आवंटन को निरस्त किया है तथा इस न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रथम अपील प्रमुखतः इस आधार पर पेश की गई कि – ''बेचारा'', ''अशिक्षित'' कालू नाम का काश्तकार है तथा कमलाशंकर नहीं है। ''प्रकट नहीं आया है तथा जांच रिपोर्ट कालू उर्फ कमलाशंकर पिता अखमा एक ही व्यक्ति है जिसे किया गया आवंटन **Fraud** एवं **Misrepresentation** से प्राप्त किया गया है, तद्नुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते एवं अपीलांट को किये गये आवंटन को खारिज किये जाने के निर्णय को पूर्णतः उचित पाते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर